

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन0एच0डी0पी0) चरण-VII के अंतर्गत 4/6 लेन अयोध्या बाईपास (उत्तरी अयोध्या बाईपास 112+540 किमी0 से शुरू होकर एनएच-28 के किमी0 139+928 पर समाप्त होता है और दक्षिणी अयोध्या बाईपास 112+540 से शुरू होकर एनएच-28 के किमी0 153+281 पर समाप्त होता है, जिसकी कुल लम्बाई 67.572 किमी0 है) के विकास का कार्य अयोध्या जनपद में प्रस्तावित है। प्रस्तावित मार्गके विकास से प्रभावित संरक्षित वन भूमि 1.586हे0 है। प्रस्तावित मार्ग के स्थापना के फलस्वरूप प्रभावित वन भूमि के दो गुना क्षेत्र से ज्यादा, 3.6 हे0 पर 3172 पौधों का क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य कुमारगंज रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन ब्लॉक ~~वक, युता~~ में प्रस्तावित किया गया है। जो क्षेत्रीय वन अधिकारी, कुमारगंज रेंज व उप प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या तथा अधोहस्ताक्षरी के स्थलीय निरीक्षण के आधार पर उपलब्ध एवं उपयुक्त पाया गया है तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-कुमारगंज, अयोध्या


(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।


उप प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या